शिक्षकों के कर्तव्य

शिविर कार्यालय शिक्षा निदेशक(बेसिक), उत्तर प्रदेश, निशातगंज, लखनऊ ।

पत्रांकः शि0नि0(बे0)/1664-823/2012–13 दिनांकः 19 जुलाई, 2012

कार्यालय ज्ञाप

निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अधीन 6 से 14 वर्ष तक के प्रत्येक बालक/बालिका को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त है । उक्त अधिनियम की धारा 24(1) में विद्यालयों में नियुक्त शिक्षकों हेतु निम्नवत् कर्तव्य निर्धारित किए गये हैं :–

(क) विद्यालय में उपस्थित होने में नियमितता और समय पालन,

(ख) धारा 29 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अनुसार पाठ्यक्रम संचालित करना और उसे पूरा करना ।

(ग) विनिर्दिष्ट समय के भीतर पाठ्यक्रम पूरा करना,

(घ) प्रत्येक बालक की शिक्षा ग्रहण करने के सामर्थ्य का निर्धारण करना और तद्नुसार यथा अपेक्षित अतिरिक्त शिक्षण, यदि कोई हो, जोड़ना,

(ङ.) माता–पिता और संरक्षकों के साथ नियमित बैठकें करना और बालक के बारे में उपस्थिति में, नियमितता, शिक्षा ग्रहण करने का सामर्थ्य, शिक्षण में की गई प्रगति और किसी अन्य सुसंगत जानकारी के बारे में उन्हें अवगत कराना,

(च) ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करना, जो विहित किए जांय,

उक्त के क्रम में राज्य सरकार द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली, 2011 के नियम 19(1) में अध्यापकों द्वारा निष्पादित किए जाने वाले निर्धारित कर्तव्य निम्नांकित हैः–

(क) विद्यालय में नियमित और समय से उपस्थिति, नियमित शिक्षण, विद्यार्थियों के लेखन कार्य का नियमित शुद्धिकरण तथा विनिर्दिष्ट समय के भीतर सम्पूर्ण पाठ्यक्रम पूर्ण करने के सम्बन्ध में सम्बन्धित स्थानीय प्राधिकारी और विद्यालय प्रबन्ध समिति के प्रति उत्तरदायी होगा,

(ख) प्रत्येक बालक की विद्यालय में नियमित उपस्थिति, सीखने की क्षमता तथा प्रगति का अनुश्रवण करेंगा, नियमित रूप से बालकों के कार्य निष्पादन पर माता–पिता के साथ चर्चा करेगा,

(ग) जब अपेक्षा की जाय, तब विद्यालय प्रबन्ध समिति के कियाकलापों के प्रबन्धन में सहयोग करेगा,

(घ) स्थानीय प्राधिकारी की अधिकारिता में समस्त बालकों के विद्यालय में प्रवेश के लिए स्थानीय प्राधिकारी की यथा अपेक्षित सहायता करेगा,

(ङ.) बालकों के ज्ञान की समझ और ज्ञान के अनुप्रयोग में उसकी योग्यता की जाँच तथा सतत् मूल्यांकन हेतु प्रत्येक बालक के शिष्य संचयी अभिलेखयुक्त फाईल अनुरक्षित रखेगा तथा जिसके आधार पर पूर्णता का प्रमाणपत्र प्रदान करेगा ।

ज्ञातव्य है कि शासनादेश संख्या–1739/79–5–2011–29/2009टी0सी0 दिनांक 28 जून, 2011 द्वारा विद्यालय प्रबन्ध समिति का गठन सभी विद्यालयों में किया जा चुका है तथा मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के परिपत्र संख्या–स्कूल चलो अभियान/1064/2012–13 दिनांक 12 जून, 2012 द्वारा समस्त जिलाधिकारियों को विद्यालयों में विद्यार्थियों के लिए समस्त सुविधाओं की उपलब्धता को सुनिश्चित किए जाने हेतु **शिक्षा का हक** अभियान के अन्तर्गत प्रत्येक विकास खण्ड में 10 शिक्षा दलों (प्रत्येक दल में 03 स्वयं सेवी होंगे) को गठित किए जाने के निर्देश दिए गये हैं । शिक्षा दलों द्वारा प्रत्येक माह 20 आवंटित विद्यालयों का निरीक्षण किया जाना है । इसी के साथशिक्षा निदेशक(बेसिक) के पत्रांक शि0नि0(बे0)/उ0नि0(प्रा)/6497–6592/2012–13 दिनांक 07 जून, 2012 द्वारा नवीन शैक्षिक सत्र 2012 –13 हेतु विद्यालयों में अध्यापकों की उपस्थिति सुनिश्चित किए जाने हेतु विकास खण्ड/जनपदीय/मण्डलीय अधिकारियों के लिए निरीक्षण हेतु निर्देश भी भेजे गये हैं ।

चूँकि वर्तमान शैक्षिक सत्र प्रारम्भ होते हुए लगभग एक माह व्यतीत हो चुका है, इसलिए अब आवश्यकता इस बात की है कि विद्यालयों का सघन निरीक्षण किया जाय और यह देखा जाय कि विद्यालयों में पाठ्य पुस्तकों के निःशुल्क वितरण के पश्चात् कक्षा शिक्षण कितना हुआ है ? पढ़ाये गये पाठों पर छात्र/छात्राओं के अवबोध की स्थिति सरल भाषा में प्रश्नों के माध्यम से ज्ञात की जाय तथा उसका अंकन सुस्पष्ट रूप से पर्यवेक्षण आख्या में किया जाय । साथ ही यह भी देखा जाय कि विद्यालयों में वर्तमान में निर्गत नियमों/निर्देशों के अनुपालन की क्या स्थिति है? विद्यालयों में अध्यापकों की नियमित उपस्थिति, नियमित शिक्षण एवं पाठ्यक्रमानुसार पठन–पाठन के निरीक्षण/पर्यवेक्षण हेतु संलग्न सूची के अनुसार उनके नाम के सम्मुख अंकित जनपदों हेतु निरीक्षण/पर्यवेक्षण अधिकारी नामित किए जाते है। नामित अधिकारियों के द्वारा अपने नाम के सम्मुख अंकित जनपदों में माह, अगस्त/सितम्बर,2012 के द्वितीय, तृतीय सप्ताह में विद्यालयों का सघन निरीक्षण/पर्यवेक्षण किया जायेगा । निरीक्षण में अध्यापक/छात्रों की उपस्थिति, पाठ्यक्रमानुसार पठन–पाठन, नियमित कक्षा शिक्षण, बच्चों के पास पाठ्य पुस्तकों/यूनीफार्म की उपलब्धता आदि के संबंध में विशेष ध्यान दिया जाय, जिससे विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शैक्षिक वातावरण सृजित हो सके । इसी के साथ निरीक्षण के समय यथा–सम्भव विद्यालय प्रबन्ध समिति के कियाकलापों का अनुश्रवण तथा प्रबन्ध समिति को उनके कर्तव्यों के प्रति जागरूक किया जाय । यह भी देखा जाय कि शिक्षा का हक अभियान के अन्तर्गत जनपदों में स्वैच्छिक दलों का गठन किया गया है या नहीं और गठित स्वैच्छिक दलों द्वारा निरीक्षण आदि किए जाने की क्या स्थिति है । इन समस्त बिन्दुओं खण्ड शिक्षा अधिकारी सघन रूप से विद्यालय का भ्रमण करके अनुपालन सुनिश्चित करेंगें ।

संलग्न सूची में अंकित निरीक्षण/पर्यवेक्षण अधिकारियों द्वारा निरीक्षण आख्या विद्यालय में भी अंकित की जायेगी तथा सर्व संबंधित को आवश्यक निर्देशों सहित

कार्यवाही हेतु प्रेषित की जायेगी, जिसमें सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण के स्तर का भी मूल्यांकन किया जायगा । जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी तथा मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक(बेसिक) उपर्युक्त वर्णित कर्तव्यों का निर्वहन सुनिश्चित करेंगें ।

(बासुदेव यादव)
शिक्षा निदेशक(बेसिक),
उत्तर प्रदेश,लखनऊ।

पृष्ठांकन संख्याः शि0नि0(बे0)/ 10664-823/2012–13 तद्दिनांक

उक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– राज्य परियोजना निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान, निशातगंज, लखनऊ ।
2– विशेष सचिव, शिक्षा (5) अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ ।
3– अपर शिक्षा निदेशक(बेसिक), शिक्षा निदेशालय, इलाहाबाद ।
4– सचिव, उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद, इलाहाबाद ।
5– समस्त नामित निरीक्षण/पर्यवेक्षण अधिकारी ।
6– समस्त मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक(बेसिक), उत्तर प्रदेश ।
7– समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश को इस आशय से प्रेषित है कि इस कार्यालय ज्ञाप की प्रति समस्त खण्ड शिक्षाधिकारियों को उपलब्ध कराने का कष्ट करें ।

संलग्नकः उक्तवत् ।

(बासुदेव यादव)
शिक्षा निदेशक(बेसिक),
उत्तर प्रदेश,लखनऊ।